# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3132–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–08–2012 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर, प्रकरण कमांक 36/2011–12/निगरानी

1–घनश्याम पुत्र श्री रामभरोसे
2–पप्पू पुत्र श्री रामभरोसे पुत्रगण स्व0श्री रामभरोसे
निवासी गण बड़ागॉव
3–मुन्नीबाई पुत्री श्री रामभरोसे
4–कमलाबाई पुत्री श्री रामभरोसे
निवासी ग्राम मैथाना जिला ग्वालियर म0प्र0

.....आवेदकगण

**विरूद्ध**

मातादीन मृतक वारिसान :–
1–श्रीमती शांति पत्नी मातादीन
2–श्रीमती मनोरमा पुत्री मातादीन
3–श्रीमती उषा पुत्री मातादीन
4–श्री गिरीश माहौर पुत्र श्री मातादीन
5–प्रदीप माहौर पुत्र श्री मातादीन
6–वीरेन्द्र माहौर पुत्र श्री मातादीन
7–कु0ज्योति पुत्री मातादीन अव्यस्क सरपरस्त मॉ शांति,
निवासी गण लधेड़ी ग्वालियर.

.....अनावेदकगण

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मनोज गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदकगण

---

## :: आ दे श ::

**(आज दिनांक 5/6/16 को पारित)**

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–08–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदिका कमांक 1 के पति एवं अनावेदक कमांक 2 लगायत 7 के पिता मातादीन द्वारा तहसीलदार ग्वालियर के समक्ष संहिता की धारा 110 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम मैथाना तहसील व जिला ग्वालियर स्थिति भूमि सर्वे कमांक 226/4 रकबा 0.679 हेक्टेयर एवं सर्वे कमांक 230 रकबा 1.254 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.933 हेक्टेयर में से 1/2 हिस्सा उसकी मॉ गणेशीबाई का है । गणेशी बाई की मृत्यु दिनांक 6–10–2003 को हो गई है और उसके द्वारा मातादीन के पक्ष में दिनांक 14–8–2003 को वसीयतनामा निष्पादित किया गया है, अतः गणेशीबाई के स्थान पर उसका नाम दर्ज किया जाय । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 74/2006–07/अ–6 दर्ज कर दिनांक 6–7–2009 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि का वारिसाना नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश में तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ के तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया कि उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण में बोलता हुआ आदेश पारित किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 7–8–12 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार द्वारा विधिवत् साक्ष्य ली जाकर साक्षियों का कूट परीक्षण कर वसीयतनामा को संदिग्ध पाते हुये मृतक गणेशीबाई के वैध वारिसानों का नामान्तरण किया गया है, जो विधिसंगत आदेश है । अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है, इसलिये उनके आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) वसीयतनामा के दोनों साक्षियों के कथन में विरोधाभास होने से तहसीलदार द्वारा वसीयतनामा सिद्ध नहीं पाने में उचित कार्यवाही की गई है, क्योंकि साक्ष्य में स्पष्ट आया है

कि वसीयतनामा निष्पादित करते समय गणेशी बाई का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उन्हें ऑखों से नहीं दिखता था । उपरोक्त तथ्य पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

(3) तहसीलदार द्वारा विधिवत् अनावेदकगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है, अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा यह मानने में त्रुटि की गई है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है ।

(4) गणेशीबाई को वसीयतनामा निष्पादित करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि उसकी स्वअर्जित भूमि नहीं होकर संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति है और संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति की वसीयत करने का अधिकार गणेशी बाई को नहीं था ।

तर्क के समर्थन में 2009 आरएन 38, 1985 आरएन 210, 1989 आरएन 269 एवं 1997 आरएन 258 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया गया है जहॉ आवेदकगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश प्रत्यावर्तन आदेश है जो कि अंतिम प्रकृति का आदेश है, जिसके विरूद्ध निगरानी में सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदक के पूर्वज मातादीन के पक्ष में निष्पादित वसीयत नामे को संदिग्ध मानते हुये वारिसाना नामान्तरण स्वीकृत किया गया है, परन्तु उनके द्वारा आदेश में विवेचना नहीं की गई है कि क्यों कर मातादीन के पक्ष में निष्पादित वसीयत संदिग्ध है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के आदेश को अपूर्ण आदेश की श्रेणी में मानकर निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है कि उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये प्रकरण में बोलता हुआ आदेश पारित किया जाये और अनुविभागीय अधिकारी के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में अपर कलेक्टर द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

इस प्रकार दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–08–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर